L. A. BILL No. XXII OF 2022.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २२ सन् २०२२।

महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् २०१७ का महा. ४३।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए।

(२) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, यह धारा तत्काल प्रवृत्त होगी और शेष धाराएँ भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव के साथ जैसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होंगी और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए अलग-अलग दिनांक नियत किए जा सकेंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भण में किन्ही ऐसे उपबंधों में कोई निर्देश का अर्थ उस उपबंधों के प्रवर्तन के निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १६ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १६की,— सन् २०१७ का महा. ४३।

(क) उप-धारा (२) में,—

(एक) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(खक) धारा ३८ के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित की गई उक्त आपूर्ति के संबंध में निवेश प्रतिदेय कर जमा रकम के ब्यौरे देने से निर्बंधित नहीं किया गया है ;" ;

(दो) खण्ड (ग) में, "या धारा ४३क" शब्द, अंक तथा अक्षर विलोपित किए जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) में, "सितम्बर महीने के लिए, धारा ३९ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने का देय दिनांक" शब्दों और अंको के स्थान में, "नवम्बर के तीसवें दिन" शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा २९ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा (२) के,—

(क) खण्ड (ख) में, "तीन क्रमवार कर अवधियों के लिए विवरणियाँ" शब्दों के स्थान में "उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के देय दिनांक से तीन महीने से अधिक एक वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ग) मे, "छह महीने की एक निरंतर अवधि" शब्दों के स्थान में, "जैसा कि विहित किया जाए ऐसी निरंतर कर अवधि" शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३४ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३४, की उप-धारा (२) में, "सितम्बर" शब्दों के स्थान में, "नवम्बर के तीसवें दिन" शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३७ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ३७ की,—

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) "इलैक्ट्रानिक तरीके से प्रस्तुत की जायेगी" शब्दों के पश्चात्, "ऐसे शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन तथा" शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(दो) "जैसा कि विहित किया जाए ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीत्या में, उक्त आपूर्तियों के प्राप्तकर्ता को संसूचित किया जायेगा" शब्दों के स्थान में "ऐसे शर्तों तथा निर्बंधनो के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाए ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीत्या में, उक्त आपूर्तियों के प्राप्तकर्ता को संसूचित किया जायेगा" शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) प्रथम परंतुक विलोपित किया जायेगा ;

(चार) द्वितीय परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान में, "परंतु" शब्द रखे जायेंगे ;

(पाँच) तृतीय परंतुक में, "परंतु यह और भी कि" शब्दों के स्थान में, "परंतु यह और कि" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) विलोपित की जायेगी ;

(ग) उप-धारा (३) में,—

(एक) "और जो धारा ४२ और ४३ के अधीन शेष बेजोड़ है " शब्द और अंक विलोपित किये जायेंगे ;

(दो) प्रथम परंतुक में, "सितम्बर महीने के लिए धारा ३९के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना" शब्दो और अंकों के स्थान में, "नवम्बर के तीसवें दिन" शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(४) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, यदि, किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए जावक आपूर्तियों के ब्यौरे उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो उसे कर अवधि के लिए उप-धारा (१) अधीन जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने कि लिए अनुमत नहीं किया जायेगा :

परंतु, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, भले ही उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हो, उप-धारा (१) के अधीन जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देगी"।

६. मूल अधिनियम की धारा ३८ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३८ के स्थान में नई धारा की प्रतिस्थापना।

"**३८.** (१) धारा ३७ की उप-धारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए जावक आपूर्तियों के ब्यौरे और जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अन्य आपूर्तियाँ, और निवेश प्रतिदेय कर जमा रकम के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करनेवाला कोई स्व-निर्मित विवरण जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररुप और रीत्या में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन ऐसी आपूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से उपलब्ध कराया जाएगा।

आवक अपूर्तियाँ और निवेश प्रतिदेय कर जमा रकम के ब्यौरे की संसूचना।

(२) उप-धारा (१) के अधीन स्व-निर्मित विवरण,—

(क) आवक अपूर्तियों के ब्यौरे जिसके संबंध में निवेश प्रतिदेय कर जमा रकम प्राप्तकर्ताओं को उपलब्ध किया जा सकेगा ; और

(ख) आपूर्तियों के ब्यौरे, जिसके संबंध में,—

(एक) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे रजिस्ट्रीकरण करने की अवधि के भीतर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ; या

(दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जो कर का भूगतान करने में चूककर्ता है और जहाँ ऐसी चूक, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अवधि के लिए निरंतर हो गई है ; या

(तीन) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अवधि के दौरान उक्त उप-धारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक आपूर्तियों के विवरण के अनुसरण में, उसके द्वारा देय उत्पादन कर जमा रकम जैसा कि विहित किया जाए ऐसी सीमा तक उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा अदा, किये गया निवेश प्रतिदाय कर के अधिक्य में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ; या

(चार) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अवधि के दौरान किसी रकम के निवेश प्रतिदेय कर का लाभ उठाया है, जो रकम, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे समय द्वारा खण्ड (क) के अनुसरण में, उसके द्वारा लाभ उठाए जानेवाली रकम से अधिक प्रतिदेय है तो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ; या

(पाँच) जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, धारा ४९ की उप-धारा (१२) के उपबंधों के अनुसरण में, उसके कर दायित्व का निर्वहन करने में चूक की है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ; या

(छह) जैसा कि विहित किया जाए ऐसे अन्य व्यक्तियों के वर्ग द्वारा, धारा ३७ की उप-धारा (१) के अधीन प्रस्तुत किये गये उक्त आपूर्तियों के ब्यौरे के बारे में प्राप्तिकर्ता द्वारा जिसके संबंध में ऐसी जमा राशि उपलब्ध नहीं हो सकेगी उस आपूर्ति का ब्यौरा चाहे वह संपूर्ण या भागतः हो।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३९ का संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ३९ की,—

(क) उप-धारा (५) में, "बीस" शब्द के स्थान में, "तेरह" शब्द रखा जायेगा ;

(ख) उप-धारा (७) में, प्रथम परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, उप-धारा (१) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करनेवाली प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,—

(क) महीने के दौरान, वस्तु या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक आपूर्तियों, उपलब्ध निवेश प्रतिदेय कर जमा रकम, देय कर और ऐसे अन्य ब्यौरे को ध्यान में रखकर के देय कर से समान कोई रकम ; या

(ख) खण्ड (क) में निर्देशित रकम के बदले, जैसा की विहित किया जाए ऐसी रीत्या और ऐसे शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन अवधारित कोई रकम, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररुप में और रीत्या में तथा ऐसे समय के भीतर सरकार को भुगतान करेगी ।";

(ग) उप-धारा (९) में,—

(एक) धारा ३७ और ३८ के उपबंधों के अध्यधीन, यदि, "शब्दों और अंकों के स्थान में, "जहाँ" शब्द रखा जायेगा ;

(दो) परंतुक में, "सितम्बर के महीने या द्वितीय तिमाही के लिए विवरण प्रस्तुत करने के लिए देय दिनांक" शब्दों के स्थान में "नवम्बर के तींसवे दिन" शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) उप-धारा (१०) में, "उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है" शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

"या उक्त कर अवधि के लिए धारा ३७ की उप-धारा (१) के अधीन जावक आपूर्तियों का ब्यौरे, उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए है :

परंतु, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, उसमें जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग की, एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत

नहीं की गई है या उक्त कर अवधि के लिए धारा ३७ की, उप-धारा (१) के अधीन जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हो, तो भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दे सकेगी।"।

८. मूल अधिनियम की धारा ४१ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ४१ के स्थान में नई धारा की प्रतिस्थापना।

"**४१.** (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन उसकी विवरणी में यथा स्व-निर्धारित पात्र निवेश प्रतिदेय कर जमा रकम प्राप्त करने के लिये हकदार होगी, और ऐसी रकम उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जायेगी। निवेश प्रतिदेय कर का लाभ उठाना।

(२) जिस पर देय कर आपूर्तिकर्ता द्वारा अदा नही किया गया है ऐसी वस्तु या सेवाएँ या दोनों की ऐसी आपूर्तियों के संबंध में, उप-धारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निवेश प्रतिदाय कर जमा रकम जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में उक्त व्यक्ति द्वारा लागू ब्याज समेत वापस की जायेगी :

परंतु, जहाँ उक्त आपूर्तिकर्ता ने उपर्युक्त आपूर्तियों के संबंध में, देय कर का भुगतान किया है, तो उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में उसके द्वारा वापस की गई जमा रकम वापस ले सकेगा।"।

९. मूल अधिनियम की धारा ४२, ४३ और ४३क विलोपित की जायेगी। सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ४२, ४३, और ४३क का विलोपन।

१०. मूल अधिनियम की धारा ४७ की, उप-धारा (१) में,— सन २०१७ का महा. ४३ की धारा ४७ में संशोधन।

(क) "या आवक" शब्द विलोपित किया जायेगा ;

(ख) "या धारा ३८" शब्द और अंक विलोपित किए जायेंगे ;

(ग) "धारा ३९ या धारा ४५" शब्दों और अंको के पश्चात् "या धारा ५२" शब्द और अंक निविष्ट किए जायेंगे।

११. मूल अधिनियम की धारा ४८ की, उप-धारा (२) में के, "धारा ३८के अधीन आवक आपूर्तियों के ब्यौरे" शब्द और अंक विलोपित किए जायेंगे। सन २०१७ का महा. ४३ की धारा ४८ में संशोधन।

१२. मूल अधिनियम की धारा ४९ की,— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ४९ में संशोधन।

(क) उप-धारा (२) में "या धारा ४३क" शब्द, अंक और अक्षर विलोपित किए जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (४) "ऐसी शर्तों के अध्यधीन" शब्दों के पश्चात्, "और निर्बंधनों" शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (११) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(१२) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हूए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनो के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत वस्तू और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के अधीन उत्पादन कर दायित्व के ऐसे अधिकतम समानुपात विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे जैसा कि विहित किया जाए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते के जरिए निर्वहन किया जा सकेगा ।"। सन् २०१७ का १३।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५० में संशोधन।

१३. मूल अधिनियम की धारा ५० की, उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी और १ जुलाई, २०१७ से रखी गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

"(३) जहाँ निवेश प्रतिदेय कर जमा रकम का अनुचित ढंग से प्राप्त की गई है और उपयोग में लायी गई है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, परिषद की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित किया जाए, अनुचित ढंग से प्राप्त की गयी और उपयोग में लायी गयी ऐसी निवेश प्रतिदेय कर जमा रकम पर २४ प्रतिशत से अनधिक ऐसे दर से ब्याज अदा करेगी और ब्याज, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में परिगणित किया जायेगा ।"।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५२ में संशोधन।

१४. मूल अधिनियम की धारा ५२ की, उप-धारा (६) के परंतुक में, "सितम्बर महीने के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की देय दिनांक" शब्दों के स्थान में, "नवम्बर के तीसवे दिन" शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५४ में संशोधन।

१५. मूल अधिनियम की धारा ५४ की,—

(क) उप-धारा (१) के, परंतुक में, "ऐसी रीत्या धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत की जानेवाली विवरणी" शब्दों के स्थान में, "ऐसे प्ररूप में और" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) में, "छह महिने" शब्दों के स्थान में, "दो वर्ष" शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (१०) में "उप-धारा (३) के अधीन" शब्द, कोष्ठक तथा अंक विलोपित किए जायेंगे ;

(घ) **स्पष्टीकरण** में, खण्ड (२) के उप-खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(खक) एक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक या विशेष आर्थिक परिक्षेत्र ईकाई को वस्तु या सेवा या दोनों की शुन्य दर पर आपूर्ति के मामले में, जब ऐसी आपूर्तियों के संबंध में या, यथास्थिति, ऐसी आपूर्तियों में उपयोग की गई निवेश या निवेश सेवाओं ऐसी आपूर्तियों के संबंध में उपलब्ध कर का प्रतिदाय अदा किया है तो ऐसी आपूर्तियों के संबंध में धारा ३९ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय दिनांक होगी ;"।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १४६ के अधीन जारी की गयी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।

१६. (१) मूल अधिनियम, २०१७ की धारा १४६ के अधीन परिषद की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी महाराष्ट्र सरकार **राजपत्र,** असाधारण भाग चार-ख, क्रमांक ३५ दिनांकित २४ जनवरी २०१८ को प्रकाशित शासकीय अधिसूचना वित्त विभाग क्रमांक जीएसटी-१०१८/सी.आर.१३/कराधान-१ (अधिसूचना क्रमांक ९/२०१८-राज्य कर) दिनांकित २४ जनवरी, २०१८, इसमें प्रथम अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट रीत्या में, उसी अनुसूची के स्तंभ (३) में विनिर्दिष्ट दिनांक पर और से संशोधित की जायेगी और भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित की गई समझी जायेगी।

(२) उप-धारा (१) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार को उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट अधिसूचना में संशोधन करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति है ऐसा समझा जायेगा मानो किं, राज्य सरकार को, सभी सारवान् समयों पर मूल अधिनियम, २०१७ की धारा १४६ के अधीन उक्त अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

सन् २०१७ का महा. ४३ की, धारा ५०की, उप-धारा (१) और (३), तथा धारा ५४की, उप-धारा (१२) और धारा ५६ के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।

१७. (१) मूल अधिनियम की धारा ५०की, उप-धारा (१) और (३), धारा ५४ की उप-धारा (१२) और धारा ५६ के अधीन परिषद की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** भाग-चार ख, असाधारण क्रमांक १८२, दिनांकित २९ जून २०१७ में प्रकाशित शासकीय अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांक-जीएसटी-१०१७/सी.आर १०३ (२०)/कराधान-१, दिनांकित २९ जून, २०१७ इसमें द्वितीय अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट रीत्या में, उसी अनुसूची के स्तंभ (३) में विनिर्दिष्ट दिनांक पर और से संशोधित की जायेगी और भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित की गई समझी जायेगी।

(२) उप-धारा (१) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार को, उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट की गई अधिसूचना में संशोधन करने की शक्ति होगी तथा भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति होगी ऐसा समझा जाएगा मानों कि राज्य सरकार को, सभी सारवान् समयों पर मूल अधिनियम की धारा ५० की, उप-धारा (१) और (३), धारा ५४ की, उप-धारा १२ और धारा ५६ के अधीन उक्त अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

कतिपय मामलो में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण करने से भूतलक्षी प्रभाव से छूट।

१८. (१) मूल अधिनियम की धारा ९ की, उप-धारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** भाग-चार-ख, असाधारण क्रमांक १८३ दिनांकित २९ जून २०१७ को प्रकाशित शासकीय अधिसूचना वित्त विभाग क्रमांक जी एस टी/१०१७/सी.आर.१०४/ कराधान-१ (अधिसूचना क्रमांक ०१/२०१७-राज्य कर (दर), दिनांकित २९ जून २०१७ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हूए भी, जुलाई २०१७ के प्रथम दिन से प्रारम्भ होनेवाली अवधि तथा ३० सितम्बर को समाप्त होनेवाली अवधि (दोनो दिनों को मिलाकर) के दौरान, मछली तेल को छोडकर, मछली खाद्यान्न (शीर्षक २३०१ के अधीन आनेवाले) के उत्पादन के दौरान उत्पादित अनभिप्रेत अपशिष्ट की आपूर्ति के संबंध में कोई राज्य कर उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जायेगा।

(२) सभी ऐसे कर का जिसका संग्रहण किया गया है का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा परन्तु, ऐसा कर इस प्रकार संग्रहीत नहीं हो सका तो उप-धारा (१) सभी सारवान् समयों पर प्रवर्तमान थी।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ७ की, उप-धारा (२) के अधीन जारी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तन में लाना।

१९. (१) उप-धारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन, मूल अधिनियम की धारा ७ की, उप-धारा (२) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** भाग-चार ख, असाधारण क्रमांक ३८४, दिनांकित १ अक्तूबर २०१९ में प्रकाशित शासकीय अधिसूचना वित्त विभाग क्रमांक जीएसटी-१०१९ राज्य कर (दर) दिनांकित १ अक्तुबर २०१९ इसमें सभी प्रयोजनों के लिए १ जुलाई २०१७ को और से प्रवर्तन में आया है और हमेशा प्रवर्तन में आया हुआ समझा जायेगा।

(२) सभी ऐसे राज्य कर का, जिसका संग्रहण किया गया है, का प्रतिदाय नही किया जायेगा, परंतु जिसका इसप्रकार संग्रहण नही किया गया था, उप-धारा (१) में निर्देशित अधिसूचना सभी सारवान् समयों पर प्रवर्तन में थी।

प्रथम अनुसूची

[देखिए धारा १६ (१)]

अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक (१)	संशोधन (२)	संशोधन प्रभावी होने का दिनांक (३)
महाराष्ट्र सरकार **राजपत्र,** असाधारण, भाग चार-ख, क्रमांक ३५, दिनांकित २४ जनवरी २०१८ में प्रकाशित शासकीय अधिसूचना वित्त विभाग क्रमांक जीएसटी-१०१८/सीआर १३/कराधान-१ (अधिसूचना क्रमांक ९/ २०१८-राज्य कर) दिनांकित २४ जानवरी २०१८।	उक्त अधिसूचना में, परिच्छेद १ में, "विवरणियों को प्रस्तुत करना तथा एकीकृत कर की संगणना और समझौता करना" शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :— "विवरणियों को प्रस्तुत करना और एकीकृत कर की संगणना और समझौता करना और महाराष्ट्र शासकीय **राजपत्र,** भाग-चार ख, असाधारण क्रमांक-७ दिनांकित १ जनवरी २०२० में प्रकाशित शासकीय अधिसूचना वित्तविभाग क्रमांक जीएसटी-१०१९/सी.आर.१५३/कराधान-१, दिनांकित १ जनवरी २०२० में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए महाराष्ट्र वस्तू एवं सेवा कर नियम, २०१७ के अधीन उपबंधित सभी कार्यों ।"।	२२ जून, २०१७।

द्वितीय अनुसूची

[देखिए धारा १७ (१)]

अधिसूचना क्रमांक और दिनांक (१)	संशोधन (२)	संशोधन प्रभावी होने का दिनांक (३)
महाराष्ट्र सरकारी **राजपत्र,** भाग-चार ख, असाधारण क्रमांक १८२, दिनांकित २९ जून २०१७ में प्रकाशित शासकीय अधिसूचना वित्त विभाग क्रमांक जीएसटी-१०१७/सी.आर. १०३(२०)/कराधान-१ दिनांकित २९ जून २०१७।	उक्त अधिसूचना की, सारणी में अनुक्रमांक २ के सामने स्तंभ (३) में "२४" अंक के स्थान में "१८" अंक रखा जायेगा।	१ जुलाई २०१७ ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा वस्तु और सेवा कर विधियों में संशोधन करने की आवश्यकता होनेवाले, विभिन्न निर्णय लिए गए है। तद्नुसार, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का १२) और एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का १३) वित्त अधिनियम, २०२२ (सन् २०२२ का ६) के द्वारा संसद द्वारा संशोधित किए गए है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ और महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ४३) के उपबंधों में समानता और उपर्युक्तता बनाए रखने के उद्देश में महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

२. महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है :—

(एक) धारा १६ में,—

(क) उप-धारा (२) में, एक नया खण्ड (ख क) का निवेशन करना है, ताकि आपूर्ति के बारे में निवेश प्रतिदाय कर जमा रकम केवल उस समय पर उपलब्ध हो सके, जब धारा ३८ के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किए गए ब्यौरे में जब ऐसी जमा रकम निर्बंधित नहीं की गयी हों ऐसे उपबंध किया जा सके।

(ख) आगे उप-धारा (४) में संशोधन करना है जिसमें वित्तीय वर्ष में किसी बीजक या नामे नोट जिसका ऐसे बीजक या नामे नोट है उस वित्तीय वर्ष के समाप्ति से ३० नवम्बर के पश्चात् या संबंधित वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने पर जो भी पहले हो, उसके बाद रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, निवेश प्रतिदाय कर जमा रकम लेने के लिये हकदार नही हो, यह उपबंध किया जा सके।

(दो) धारा २९ की उप-धारा (२) में,—

(क) खण्ड (ख) का संशोधन करना है जिसमें यदि वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी, उक्त विवरणी के प्रस्तुत करने के देय दिनांक से तीन महीने से परे प्रस्तुत नहीं की गई है तो धारा १० के अधीन कर की अदायगी करनेवाले एक व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है ऐसे उपबंध किया जा सके।

(ख) खण्ड (ग) में अधिकतर संशोधन करना है, जिसमें उसके खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से अन्य कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में, जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द होने के लिए दायी होगा ऐसी जिस अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नही की गई है, तो निरंतर कर अवधि विहित की जाए ऐसे उपबंध किया जा सके।

(तीन) धारा ३४ की उप-धारा (२) का संशोधन करना है ताकि वित्तीय वर्ष में की गई कोई आपूर्ति के संबंध में ज़मा नोट के जारी करने के लिए अंतिम दिनांक के रूप में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से ३० नवम्बर के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरण के प्रस्तुत करने का दिनांक, जो भी पहले हो ऐसे उपबंध किया जा सके।

(चार) धारा ३७ की,—

(क) उप-धारा (१) का संशोधन करना है, ताकि जावक आपूर्ति के ब्यौरे को प्रस्तुत करने के लिए शर्तें और निर्बंधनों और संबंधित प्राप्तकर्ताओं को ऐसे जावक आपूर्तियों के ब्यौरों को संसूचित करने की शर्तें और निर्बंधनों के **साथ ही साथ** रीति और समय विहित करने के लिए ऐसे उपबंध किया जा सके।

(ख) उप-धारा (१) और (२) के प्रथम परंतुक अपमार्जित किए जायेंगे।

(ग) उप-धारा (३) का भी संशोधन करना है, ताकि धारा ४२ या धारा ४३ के अधीन उसमें बेजोड ब्यौरे के संदर्भ को हटाया जाए।

(घ) उप-धारा ४ को निविष्ट करना है ताकि, उप-धारा (१) के अधीन जावक आपूर्तियों को ब्यौरे को आनुक्रमिक कर अवधि के अनुसार दाखिल करने का उपबंध किया जाए।

(पाँच) धारा ३८ प्रतिस्थापित की जायेगी।

(छह) धारा ३९ की,—

(क) उप-धारा (५) का संशोधन करना है, ताकि धारा २७ की उप-धारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट महीने की समाप्ति के पश्चात् महीने के तेरह दिनों के भीतर या रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिनांक के पश्चात् सात दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, अनिवासी कराधेय व्यक्ति विवरणी प्रस्तुत करेगा ऐसा उपबंध किया जा सके।

(ख) उप-धारा (७) में प्रथम परंतुक की प्रतिस्थापन करना है ताकि, उप-धारा या तो स्व निर्धारित कर या तो जैसा विहित किया जाऐ ऐसी कोई रकम की अदायगी करने के लिए उप-धारा (१) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को विकल्प देने का उपबंध किया जा सके।

(ग) उप-धारा (९) का संशोधन करना है ताकि धारा ३७ और धारा ३८ के संदर्भ निकाला जाए और उक्त उप-धारा (९) के परंतुक का संशोधन करना है जिससे धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत विवरणी में गलतीयों की परिशुद्धि करने के लिए अंतिम दिनांक के रूप में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ३० नवम्बर तक या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के दिनांक तक जो भी पहले हो, उपबंध किया जा सके।

(घ) उप-धारा (१०) का संशोधन करना है ताकि, उक्त कर अवधि के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी प्रस्तूत करने के लिए शर्त के रूप में, धारा ३७ की उप-धारा (१) के अधीन कर अवधि की जावक आपूर्तियों के ब्यौरों को प्रस्तूत करने के लिए उपबंध किया जा सके।

(सात) धारा ४१ की प्रतिस्थापना करना है ताकि "तात्कालिक" आधार पर पात्र निवेश प्रतिदाय कर जमा रकम के "दावे" की संकल्पना से मुक्त हो जाए और जैसा कि विहित किया जाए ऐसी शर्तों और निर्बंधनो के अध्यधीन स्वनिर्धारित निवेश प्रतिदाय कर जमा रक़म प्राप्त करने के लिए उपबंध किया जा सके।

(आठ) धारा ४२, ४३ और ४३क अपमार्जन करना है।

(नौ) धारा ४७ की उप-धारा (१) में संशोधन करना है ताकि, धारा ५२ के अधीन विवरणी दाखिल करने में विलंब होने पर विलंबित फीस के उद्ग्रहन के लिए उपबंध करने और उक्त धारा ३८ के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आवक आपूर्तियों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं के रूप में धारा ३८ का संदर्भ हटाया जाए।

(दस) धारा ४८ की उप-धारा (२) का संशोधन करना है ताकि, उक्त धारा ३८ के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आवक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही हैं, वहाँ धारा ३८ का संदर्भ हटाया जाए।

(ग्यारह) धारा ४९ की,—

(क) उप-धारा (४) में संशोधन करना है ताकि, इलेक्ट्रॉनिक जमाखाते में उपलब्ध रकम का उपयोग करने के लिए निर्बंधनो को विहित करने के लिए उपबंध किया जा सके।

(ख) उप-धारा (१२) को निविष्ट करना है ताकि, उत्पादन कर दायित्व के अधिकतम अनुपात जिसका निर्वहन इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते के ज़रिए ही सकता हो को विहित करने के लिए उपबंध किया जा सके।

(बारह) धारा ५० की उप-धारा (३) को १ जुलाई २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापना करना है ताकि उपयोग में लाए गए निवेश प्रतिदाय कर जमा रक़म पर ब्याज उद्ग्रहण अनुचित पद्धति से प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए उपबंध करने और ऐसे मामलों में ब्याज के परिकलन की रीति विहित करने के लिए उपबंध किया जा सके।

(तेरह) धारा ५२ की उप-धारा (६) के परंतुक का संशोधन करना है। ताकि, अंतिम दिनांक के रूप में जिसमें उप-धारा (४) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में गलतीयों की परिशुद्धि करना अनुमत किया जायेगा के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ३० नवम्बर तक या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के, दिनांक तक, जो भी पहले हो उपबंध करना।

(चौदह) धारा ५४ की,—

(क) उप-धारा (१) के परंतुक का संशोधन करना है ताकि, स्पष्टता से यह उपबंध किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में शेष रक़म के प्रतिदाय का दावा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररुप और रीत्या में किया जायेगा।

(ख) उप-धारा (२) का संशोधन करना है ताकि, तिमाही के अंतिम दिनांक से दो वर्षों की समय-सीमा के उपबंध द्वारा उप-धारा (१) के साथ संरेखण हो जाए जिसमें आपूर्ति, उक्त उप-धारा में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा वस्तु या सेवा या दोनों की जावक आपूर्तियों पर अदा किए गए कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए आपूर्ति प्राप्त हो गई थी।

(ग) उप-धारा (१०) में संशोधन करना है ताकि, प्रतिदाय के दावों के सभी प्रकारों के लिए उक्त, उप-धारा का कार्यक्षेत्र विस्तारित हो जाए।

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक या विशेष आर्थिक क्षेत्र ईकाई को आपुर्ति करने के संबंध में प्रतिदाय का दावा दाखिल करने के लिए सुसंगत दिनांक से संबंधित स्पष्टता का उपबंध करने के उद्देश्य में, स्पष्टीकरण के खण्ड (२) में नए उप-खण्ड (ख क) को निविष्ट करना है।

(पंद्रह) वित्त विभाग, शासकीय अधिसूचना, क्रमांक जी.एस.टी. १०१८/सी.आर.१३/कराधान-१, दिनांकित २४ जनवरी २०१८ *www.gst.gov.in* में अधिसूचित करने के लिए २२ जून २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करना है, वित्त विभाग की शासकीय अधिसूचना, क्रमांक जिएसटी १०१९/ सी.आर. १५३/ कराधान-१, दिनांकित १ जनवरी २०२० को जारी की गयी अधिसूचना में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए सामान्य वस्तु और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में, महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर नियम, २०१७ के अधीन उपबंधित सभी कृत्यों के लिए है।

(सोलह) दिनांकित २९ जून २०१७ की शासकीय अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक जीएसटी-१०१७/ सी.आर. १०३(२०)/कराधान-१, दिनांकित २९ जून २०१७ का संशोधन करना है ताकि, धारा ५० की उप-धारा (३) के अधीन ब्याज के दर को १ जुलाई २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से १८ प्रतिशत के रूप में अधिसूचित किया जाए।

(सत्रह) १ जुलाई २०१७ से ३० सितम्बर २०१९ (दोनों दिन मिलाकर) तक की अवधि के दौरान मछली तेल को छोड़कर, मछली खाद्यान्न (शीर्षक २३०१ के अधीन आनेवाले) के उत्पादन के दौरान उत्पादित अनभिप्रेत अपशिष्ट की आपूर्ति के संबंध में कोई राज्य कर से भूतलक्षी छुट देने के लिए उपबंध करना है।

(अठारह) शासकीय अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांक जीएसटी-२०१९/सी.आर.११६ (११)/कराधान-१, दिनांकित १ अक्तुबर, २०१९ को १ जुलाई २०१७ से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तन में लाना है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित १२ अगस्त, २०२२।

एकनाथ संभाजी शिंदे,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंन्तर्गस्त है, अर्थात् :—

खण्ड १(२).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, अधिनियम की शेष धाराएँ भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव के साथ जैसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होंगी और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए अलग-अलग दिनांक नियत किए जा सकने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ३.—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय, महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा २९ की, उप-धारा (ग) में संशोधन करना है, जिसमें राज्य सरकार को, उसके खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से अन्यथा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में, प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसकी विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है जो, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण करने के लिए दायी होगा, के लिए नियमों द्वारा निरंतर कर अवधि उपबंधित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ६.—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा ३८ के स्थान में नई धारा प्रतिस्थापित करना है, जिसमें राज्य सरकार को, किसी स्वनिर्मित विवरणी प्राप्तकर्ता को आवक आपुर्तियों और निवेश प्रतिदाय कर जमा रक़म के ब्योरे संसूचित करने और विवरण दाखिल करने में दोहरी संसूचना प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए ऐसे अन्य आपूर्तियों की रीति, समय, शर्तें तथा निबंधनों को विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ८.—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय, उक्त अधिनियम की धारा ४१ की प्रतिस्थापना करना है, जिसमें राज्य सरकार को, नियम बनाने कि शक्ति प्रदान की गई है, ताकि "तात्कालिक" आधार पर पात्र निवेश प्रतिदाय कर जमा रकम "दावे" की संकल्पना छोड़ देने और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन स्व-निर्धारित निवेश कर जमा की उपलब्धि के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १२.—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय अधिनियम की धारा ४९ में संशोधन करना है, जिसमें राज्य सरकार को, इलेक्ट्रॉनिक जमाखाते में उपलब्ध रकम का उपयोग करने के लिए निर्बंधनों को विहित करने के लिए उपबंध करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १३.—इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय अधिनियम की धारा ५० की, उप-धारा (३) के स्थान में उप-धारा की प्रतिस्थापना करना है, जिसमें, राज्य सरकार को, उपयोग में लाए गए निवेश प्रतिदाय कर जमा रक़म पर ब्याज उद्ग्रहण अनुचित पद्धति से प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए उपबंध करने और ऐसे मामलों में ब्याज के परिकलन की रीति विहित करने के लिए उपबंध करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए, उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक महाराष्ट्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ४३) में संशोधन करने का प्रस्तावित करता है।

प्रस्तुत विधेयक में राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के रूप में उसके अधिनियमिति करने पर राज्य की समेकित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्ग्रस्त किए जाने के लिये कोई उपबंध नहीं है।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती विजया डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १६ अगस्त, २०२२।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई